भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2698
दिनांक 04 अगस्त, 2026 / 13 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

मादक द्रव्य के तस्करों के लिए विशेष इकाई

2698. डॉ. राजीव भारद्वाजः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य नेटवर्कों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने और मादक द्रव्यों के तस्करों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की एक विशेष इकाई स्थापित करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार को कोई अनुरोध भेजा है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) का एक फील्ड कार्यालय दिनांक 21.01.2024 से मंडी (हिमाचल प्रदेश) में कार्यरत है। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मादक पदार्थ से संबंधित मामलों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की मौजूदगी को बढ़ाने का अनुरोध प्राप्त हुआ था। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने भी शिमला में एनसीबी का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का अनुरोध किया है। भारत सरकार ने, दिनांक 17.06.2026 को, शिमला में एनसीबी का एक जोनल कार्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी है। नई जोनल इकाई से एनसीबी की परिचालन संबंधी क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होने, आसूचना एकत्र करने और अंतर-एजेंसी समन्वय में सुधार होने**,** मादक पदार्थों की तस्करी की गतिविधियों पर तेजी से कार्रवाई होने तथा पूरे हिमाचल प्रदेश में विधि प्रवर्तन के प्रयासों के सुदृढ़ होने की संभावना है।
